

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

क्रमांक 9 /नर्सिंग/सेल 3/2017/ 4।


भोपाल, दिनांक 17// //2017

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नर्सिंग संवर्ग की सिस्टर ट्यूटर को बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि का अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	कर्मचारी का नाम/पद	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षणरत अथवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके	रिमार्क
1	श्रीमति सारिका परस्ते सिस्टर ट्यूटर	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चिकि. इटारसी	प्रशिक्षणपूर्ण	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दि. 22.9.2011 से 21.09.2013 तक ।
2	श्रीमति हसीना शेख सिस्टर ट्यूटर	बहु. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र बडवानी	प्रशिक्षणपूर्ण	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दि. 21.08.2015 से 20.8.17 तक
3	श्रीमति लीना एलेक्स सिस्टर ट्यूटर	बहु. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र बडवानी	प्रशिक्षणपूर्ण	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दि. 14.08.2013 से 13.8.15 तक
4	श्रीमति सेवती पटेल सिस्टर ट्यूटर	जिला चिकि. उज्जैन	प्रशिक्षणपूर्ण	02 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 11.10.2010 से 11.10.2012 तक
5	श्रीमति सुषमा मर्सी योहन सिस्टर ट्यूटर	ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र मंदसौर	प्रशिक्षणपूर्ण	02 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 03.10.2010 से 03.10.2012 तक
6	श्रीमति अनिता असरानी पब्लिक हेल्थ ट्यूटर	नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	प्रशिक्षणपूर्ण	02 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 03.10.2010 से 03.10.2012 तक

उपरोक्तानुसार बी.एस.सी. प्रशिक्षण हेतु उपरोक्तानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

  
 (डॉ. जे.एल.मिश्रा)  
 संचालक (नर्सिंग)  
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश

1. सी.एम.ओ./सी.एस. जिला बड़वानी/होशंगाबाद/उज्जैन/मंदसौर की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवापुस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें।
2. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश